न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला–पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रा0 पत्र संख्याः– 94 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. फुसाराम पुत्र भोपालराम जाति देवासी निवासी बेनन सोडा तह0 पीपाड़ जिला जोधपुर राज0।		1. ओगड़राम पुत्र धीसाराम 2. मिश्रीलाल पुत्र धीसाराम 3. शैतानराम पुत्र धीसाराम जातिगण देवासी निवासीगण देवली हुल्ला तह0 सोजत जिला पाली राज0। 4. तहसीलदार सोजत (भूमि धारक) तहसील सोजत जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थितिः–

1. श्री बी0आर0 चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।

दिनांक 01/07/2025

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा ग्राम देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत मे खसरा नंबर 409 रकबा 0.6100 हैक्टर की कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदारी कब्जासुदा काश्त की आयी हुई स्थित है, जिस भूमि का प्रार्थी के द्वारा निर्बाध रूप से उपयोग उपभोग किया जाता रहा है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात की कृषि भूमि के सम्बन्ध में ग्राम देवली हुल्ला के अतिक्रमी अप्रार्थी के द्वारा प्रार्थी की उक्त भूमि पर पत्थरगड्डी, मुटाम इत्यादि नहीं होने के कारण से मौके पर हमेशा प्रार्थी की भूमि की सीमा, माठों को लेकर मौके पर विवाद करते रहते है तथा हमेशा जबरदस्ती लाठी लकड़ी के बल पर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि में अनावश्यक कब्जा करने की नियत से हस्तक्षेप करने को उतारू रहता है, प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि के सम्बन्ध में सीमा को लेकर हर समय विवाद होने की संभावना होने पर प्रार्थी के द्वारा दिनाक 28/06/2021 तहसीलदार सोजत के समक्ष भी सीमाज्ञान हेतु निवेदन किया गया, जिस पर तहसीलदार सोजत के सीमाकंन आदेश क्रमांक/भू.अ./21/15 पर दिनांक 02/07/2021 को मौके पर तहसीलदार सोजत की उपस्थिति में मय सीमाकंन टीम एवं पटवारी द्वारा मौके पर सीमा का ज्ञान करवाया गया खसरा नंबर 409 में दक्षिण दिशा की ओर खसरा नंबर 414 के खातेदार द्वारा आंशिक हिस्से पर अपनी तारबंदी द्वारा कब्जा किया हुआ है, तथा उत्तर की तरफ बाड़ा बनाकर कब्जा किया हुआ है। मौके पर विवाद होने की वजह से प्रार्थी की उक्त भूमि का सीमाज्ञान नहीं किया गया। इसलिए प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि का सीमाज्ञान करवा कर मौके पर मुटाम लगवाकर पत्थर गड्डी करवाना चाहता है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र बावत सीमाकंन एवं पत्थर गड्डी हेतु पेश है। प्रार्थी की भूमि का पत्थर गड्डी नहीं किये जाने के अभाव में प्रार्थी की भूमि पर अनावश्यक अन्य अजनबी व्यक्ति के हस्तक्षेप की संभावना बनी रहती है तथा मौके पर सीमाज्ञान के अभाव में सीमाओं के लेकर विवाद होता रहता है। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत मे खसरा नंबर 409 रकबा 0.6100 हैक्टर भूमि का सीमाकंन हेतु पुलिस इमदाद की सहायता से मौके पर पत्थर गड्डी के जरिये मुटाम लगवाये जाने का निवेदन किया हैं।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण को पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रा0पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर जवाब प्रा0पत्र बंद किया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि सरहद मौजा देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत मे खसरा नंबर 409 रकबा 0.6100 हैक्टर भूमि का सीमाकंन हेतु पुलिस इमदाद की सहायता से मौके पर पत्थर गड्डी के जरिये मुटाम लगवाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र व फहरिस्त मय दस्तावेज का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः खातेदार को अपनी भूमि की सही सीमाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार ख.नं0 409 में दक्षिण दिशा की ओर ख0नं0 414 के खातेदार द्वारा आंशिक हिस्से पर अपनी तारबंदी द्वारा कब्जा किया हुआ है तथा उत्तर की तरफ बाड़ा बनाकर कब्जा किया हुआ हैं। जिससे ख.नं. 409 की दक्षिण माठ को लेकर विवाद होना स्पष्ट होता है। अतः प्रस्तुत दस्तावेज तथा बहस अधिवक्ता प्रार्थी के आधार पर माफिक ईश्तदुआ प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत मे खसरा नंबर 409 रकबा 0.6100 हैक्टर की कृषि भूमि का सीमांकन किया जाकर मौके पर पत्थरगढ़ी के जरिए मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू0अ0 निरीक्षक पटवारी सम्बंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाई जाना उचित समझते है।

—: आदेशः—

अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 110, 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का आंशिक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा देवली हुल्ला पटवार हल्का मुरडावा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चण्डावल तहसील सोजत मे खसरा नंबर 409 रकबा 0.6100 हैक्टर की कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगवाये जाने हेतु तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में संबंधित भू0अ0 निरीक्षक, संबंधित पटवारी व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार, सोजत को निर्णय की प्रति भेजकर पालना तहरीर भेजकर मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हों।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

निर्णय आज दिनांक 01/07/2025 को सरे ईजलास पृथक से लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)